प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

वर्ष **2023 में** **पीएम विश्वकर्मा योजना** (PM Vishwakarma Yojana) की शुरुआत के बाद से इसने देश भर के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कई ने बहु-चरणीय पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया।

- इसके अतिरिक्त कई पंजीकृत लाभार्थियों ने अपने व्यवसाय के लिये उपयुक्त आधुनिक उपकरण खरीदने के लिये टूलकिट प्रोत्साहन का लाभ उठाया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?

- **उद्देश्य:** पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाज़ार पहुँच को बढ़ाकर उनका उत्थान करना तथा उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करना।
- **विशेषताएँ:**
  - योजना के लिये बजटीय आवंटन– 5 वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिये 13,000 करोड़ रुपए।
  - लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है।
  - कौशल प्रशिक्षण के लिये प्रतिदिन 500 रुपए का वजीफा तथा आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिये 15,000 रुपए का अनुदान।
- **श्रेणी:** केंद्रीय क्षेत्र योजना
- **नोडल मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME)
- **ऋण देने वाली संस्थाएँ:**
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - लघु वित्त बैंक
  - सहकारी बैंक
  - NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थान
- **ऋण देने की प्रणाली:**
  - **लाभार्थी कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए (प्रथम किश्त) और 2 लाख रुपए (द्वितीय किश्त)** तक के जमानत-मुक्त ऋण सहायता के लिये पात्र हैं।
- **पात्रता लाभार्थी:**
  - **औद्योगिक इकाइयाँ:** विशेष रूप से MSME क्षेत्र के लिये लक्षित।
  - **प्रशिक्षण कार्यक्रम पात्रता:** स्कूल छोड़ने वाले से लेकर एम.टेक डिग्री धारकों तक के लिये खुला है।

//

Benefits of PM Vishwakarma Yojana

Consultancy Services

Tailored guidance for operational optimization

Tooling Facilities

Improved access to essential resources for productivity

Process Development

Support for innovation and product improvement

Skilled Manpower

Training programs for industry-ready workforce

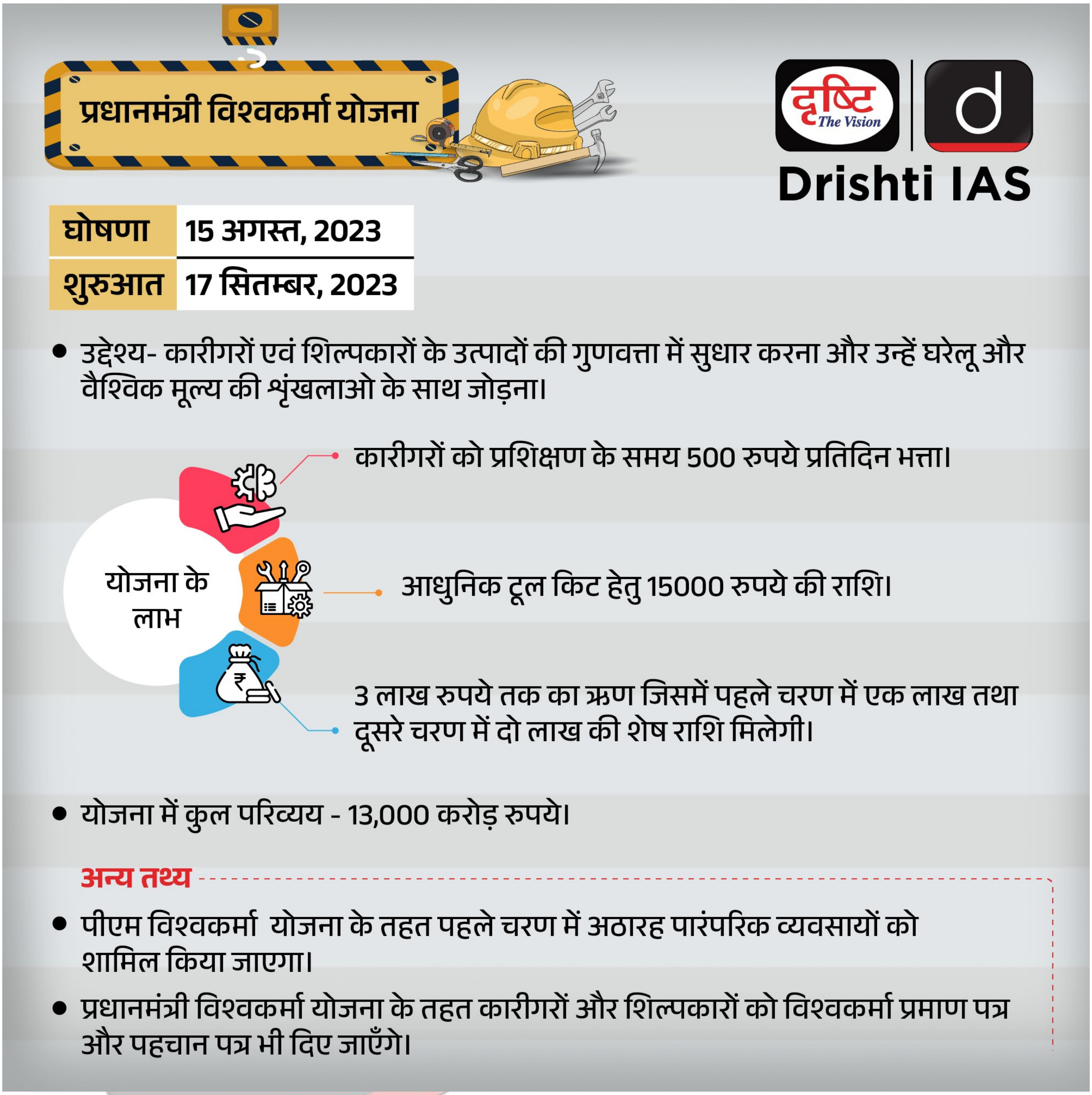

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

घोषणा	15 अगस्त, 2023
शुरुआत	17 सितम्बर, 2023

- उद्देश्य- कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य की श्रृंखलाओ के साथ जोड़ना।

योजना के लाभ

- कारीगरों को प्रशिक्षण के समय 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता।
- आधुनिक टूल किट हेतु 15000 रुपये की राशि।
- 3 लाख रुपये तक का ऋण जिसमें पहले चरण में एक लाख तथा दूसरे चरण में दो लाख की शेष राशि मिलेगी।

- योजना में कुल परिव्यय - 13,000 करोड़ रुपये।

अन्य तथ्य

- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में अठारह पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएँगे।

कारीगरों के उत्थान के लिये सरकारी पहलें:

- अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
- मेगा क्लस्टर योजना
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना
- हस्तशिल्प के लिये निर्यात संवर्धन परिषद
- एक ज़िला एक उत्पाद
- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर योजना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वकिास (एम.एस.एम.ई.डी) अधनियिम, 2006 के अनुसार, जनिका संयंत्र और मशीनरी में नविश 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे 'मध्यम उद्यम' हैं।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दयि गए सभी बैंक ऋण प्राथमकिता क्षेत्रक के अधीन अर्ह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-vishwakarma-yojana-1